



उत्तराखण्ड पुनः जनसंख्या वृद्धि के उपाय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [उत्तराखण्ड के ग्रामीण विकास एवं पलायन रोकथाम आयोग](#) ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट में प्रकट किया है कि [भारत-चीन सीमा](#) के नजिक 11 गाँवों में कोई भी नवासी नहीं बचा है।

मुख्य बंदि:

- यह रिपोर्ट वर्ष 2023 में 137 सीमावर्ती गाँवों के ज़मीनी सर्वेक्षण के बाद प्रस्तुत की गई।
- इन 11 गाँवों में से छह गाँव पथौरागढ़ ज़िले में हैं- गुमकना, लुम, खमिलगि, सागरी ढकधौना, सुमातु और पोटगि।
- इनमें से तीन चमोली ज़िले में हैं- रेवल चक कुरकुटी, फगती और लामतोल तथा दो उत्तरकाशी ज़िले में हैं- नेलांग एवं जादुंग।
- आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सरकार के लिये विभिन्न सुझाव शामिल हैं, जैसे:
- सुगम्यता मानदंडों में ढील देकर उन क़्षेत्रों में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देना।
- सीमावर्ती गाँवों में [मनरेगा कार्यक्रम](#) के तहत 100 दिनों के स्थान पर 200 दिनों का रोज़गार उपलब्ध कराना।
- केंद्र द्वारा ['वाइब्रेंट वल्लेज'](#) के रूप में चहिनति 51 सीमावर्ती गाँवों के नजिक स्थिति स्थानों का विकास करना।

वाइब्रेंट वल्लेज प्रोग्राम (Vibrant Villages Programme- VVP)

- यह एक केंद्रीय वतितपोषति योजना है जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 (वर्ष 2025-26 तक) में उत्तर में सीमावर्ती गाँवों को वकिसति करने और ऐसे सीमावर्ती गाँवों के नवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ की गई।
- इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, अरुणाचल प्रदेश, सकिमि और लद्दाख के सीमावर्ती क़्षेत्र शामिल होंगे।
- इसके तहत 2,963 गाँवों को कवर किया जाएगा, जनिमें से 663 को पहले चरण में कवर किये जाएंगे
- ग्राम पंचायतों की सहायता से ज़िला प्रशासन द्वारा वाइब्रेंट वल्लेज एक्शन प्लान बनाए जाएंगे
- वाइब्रेंट वल्लेज प्रोग्राम की वजह से 'सीमा क़्षेत्र विकास कार्यक्रम' के साथ ओवरलैप की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act- MGNREGA) योजना

- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया मनरेगा विश्व के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है।
- यह पहल कानूनी गारंटी प्रदान करती है, जिससे कसि भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों के लिये प्रत्येक वतित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोज़गार सुनिश्चित होता है।
- प्रतभागी सार्वजनिक परियोजनाओं से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य में संलग्न होते हैं, जो वैधानिक न्यूनतम मज़दूरी अर्जति करते हैं।

